



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1412]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2019/चैत्र 22, 1941

No. 1412]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2019/CHAITRA 22, 1941

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2019

का.आ. 1591(अ).—केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 10ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड अकाउंटेंट (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में दिसंबर, 2018 में आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की परिषद के निर्वाचन के मामले के उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन उद्भूत विवादों का विनिश्चय करने हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित अधिकरण की स्थापना करती है, अर्थात् :—

1. सुश्री जोया हड़के - पीठासीन अधिकारी;
अपर सचिव,
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधायी विभाग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001
2. श्री आलोक सामंतराय - सदस्य;
महानिदेशक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय,
कोटा हाउस, शाहजहां रोड
यूपीएससी के निकट, नई दिल्ली - 110001
3. श्री बी.के. खूबचंदानी - सदस्य;
निदेशक, निरीक्षण और अन्वेषण,
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय,
कोटा हाउस, शाहजहां रोड
यूपीएससी के निकट, नई दिल्ली - 110001

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/2/2019-पीआई]

अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2019

S.O. 1591(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and in pursuance of rule 3 of the Chartered Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby establishes a Tribunal consisting of the following persons to decide disputes arising under section 10A of the said Act in the matter of election to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India held in December, 2018, namely:—

1. Ms. Zoya Hadke,
Additional Secretary,
Ministry of Law and Justice,
Department of Legal Affairs,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110001 - Presiding Officer;
2. Shri Alok Samantarai,
Director General of Corporate Affairs,
Ministry of Corporate Affairs,
Kota House, Shahjahan Road,
Near UPSC,
New Delhi-110001 - Member;
3. Shri V. K. Khubchandani,
Director of Inspection and Investigation,
Ministry of Corporate Affairs,
Kota House, Shahjahan Road,
Near UPSC,
New Delhi-110001 - Member.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/2/2019-PI]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.